

निविदा का प्रारूप
कार्यालय अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी।
निविदा सूचना (वित्तीय वर्ष 2017-18)

मंडल कारा सीतामढ़ी में वार्षिक अवधि दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक एवं त्रैमासिक (i) दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.06.2017 (ii) दिनांक 01.07.2017 से 30.09.2017 (iii) दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.12.2017 एवं (iv) दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.03.2018 तक के अवधि का खाद्यान्न, खाद्य-सामग्री, विविध-सामग्री, आलू, फल एवं मौसमी हरी-सब्जियों के क्रय के लिए दिनांक 24.02.2017 के अपराह्न 02:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी द्वारा शीलबंद निविदाएँ की आमंत्रित की जाती है। जिसे दिनांक 26.02.2017 के 02:30 बजे अपराह्न जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कारा क्रय समिति द्वारा निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदादाता का स्वयं या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाएँ हाथो-हाथ कारा कार्यालय में निर्धारित तिथि समय के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तदुपरान्त प्राप्त होने वाले निविदाओ पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाओ में प्राप्त न्यूनतम दर को या निगोशिएशन द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर दोनों प्रक्रिया यथाआवश्यक स्वीकृत की जाएगी। निविदाताओ के प्रमुख खद्यानों एवं गुड़ का एक-एक किलो नमुना स्वयं के खर्च पर लाना होगा।

निविदा हेतु निम्नलिखित तकनीकी शर्तें होगी:-

1. कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 6952 दिनांक 14.11.2007 के अनुसार खाद्य एवं विविध सामग्रीयों के निविदाओ में भाग लेने हेतु अग्रधन (अर्नेस्ट मनी) बैंक गारंटी के रूप में मो0-40.000 (चालिस हजार मात्र) एवं त्रैमासिक अवधि (हरी सब्जि, फल इत्यादि) मो0-10.000 (दस हजार) अधीक्षक मंडल, कारा सीतामढ़ी के पद नाम से प्रतिज्ञित कर मूल रूप से देना होगा जिसे सफल निविदादाताओं के उनके द्वारा लिए गए सत्यकार राशि जमा कर ठीका वद्य करने के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा एवं सफल निविदाता अपने बैंक गारंटी को वापस करने का अनुरोध निविदा प्रक्रिया समाप्ती पर कर वापस ले सकता है।
2. प्रमुख खाद्यान्न-खाद्य सामग्रीयों के निविदादाताओं को आयकर, वाणिज्यकर का निबंध प्रमाण पत्र एवं अद्यतन अवधि (विगत वर्ष) का आयकर रिटर्न तथा वाणिज्य कर का अद्यतन (विगत वर्ष) के भुगतान का प्रमाण-पत्र संलग्न कर, आयकर अधिनियम 44A,B के अनुसार तीन वर्षों का टैक्स ऑडित चार्टर्ड एकाउटेन्ट का प्रस्तुत करना होगा।
3. खाद्यान्न के निविदादाताओं को खाद्या सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार अनुज्ञापित/लाइसेन्स रहना एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, द्वारा निकट अवधि का चरित्र पंमाण-पत्र देना होगा।
5. तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ अलग-अलग लिफाफो में देना होगा एवं लिफाफ के उपर स्पष्ट लिखना भी होगा।
6. निविदादाता को किसी प्रतिष्ठान/संस्थान से कालीकृत नहीं होने एतद् संबंधी प्रक्रियाधीन नहीं होने तथा उनपर कोई क्रिमिनल या देनदार का मुकदमा नहीं होने का शपथ-पत्र दोनो होगा साथ ही उनके द्वारा विगत वर्षों से ठीका लेकर ठीकाबंध नहीं करने का, आपूर्ति नहीं देने का कोई मामला लम्बित हो का भी उल्लेख उक्त शपथ पत्र में होना अनिवार्य होगा।

वित्तीय शर्तें:-

- (1) प्रत्येक सामग्रियों के लिए इकाईवार रूप से मूल्य उल्लेखित करना होगा।
- (2) संवेदक द्वारा निविदा सामग्री का अंकित दर/बाजार दर से बहुत अधिक या कम रहने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा के उस सामग्री के अंकित दर को अमान्य कर दिया जायेगा।
- (3) सामग्रियों का दर पूर्णांक में मान्य होगा।

अन्य शर्तें:-

- (1) निविदादाताओं को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में सीलबंद कर देना होगा।
- (2) निविदादाताओं को खण्ड "ख" का निविदा त्रैमासिक अलग-अलग लिफाफो में वित्तीय निविदा के साथ देंगे।
- (3) एकल निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (4) सभी सामग्रियों की आपूर्ति मैट्रीक प्रणाली में नमूना के अनुरूप चयन रहित सभी व्यय-करो के साथ कारा भंडार पर आपूरक को अपने बोरों-कंटेनरों जिस पर "कारा में आपूर्ति हेतु" लिखा हो, आपूर्ति करना होगा, जिसे खाली होने पर बिना क्षतिपूर्ति आपूरक के मांग पर वापस कर दिया जायेगा, वैसे सामग्री जो कम्पनी/पैकेट/कंटेनरों में होंगे खाली होने पर भी वापस नहीं होगा। दत्तवन, हरी सब्जी ताजा एवं आवश्यकता और मांग के अनुरूप दैनिक आधार पर आपूर्ति करना होगा। निविदादाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनका दर स्थनीय बाजार दर के अनुरूप हो। उनके द्वारा अंकित दर बाजार दर से काफी कम अथवा कफी अधिक रहने पर उनके निविदा के उस सामग्री के दर पर विचार नहीं किया जायेगा। आलू प्याज एवं हरी सब्जियों के लिए वर्ष के चार त्रैमासिक अवधि की अलग-अलग पन्नों में ही स्वीकार की जायेगी।
- (5) सफल निविदादाताओं को आपूरित होने वाले सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य को 10% सत्यकार-राशि बैंक गारंटी के रूप में काराधीक्षक के पदनाम से प्रतिज्ञित करने के एवं टीकाबध पर हस्ताक्षर करने के बाद आपूर्ति का आदेश दिया जायेगा। टीका लेकर मुकर जाने/समय पर आपूर्ति न करने या गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति नहीं करने पर बिना पूर्व सूचना के अन्य स्रोत से आपूर्ति ले ली जायेगी तथा इस पर होने वाले अधिकाई व्यय की राशि को संबंधित आपूरक के लंबित विपत्र या सत्यकार राशि के बैंक गारंटी से समायोजित कर लिया जायेगा एवं भविष्य में होने वाले निविदा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा और कालीकरण की कार्रवाई भी की जायेगी। कारा क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि निविदादाताओं द्वारा किसी भी सामग्री का व्यवहारनुकूल (Viable) दर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित निविदादाताओं के उस सामग्री के दर को अमान्य कर दिया जायेगा। आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित रहने पर आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी। क्रय समिति द्वारा प्राप्त नमूना स्वीकार करने पर न्यूनतम दर स्वीकृत किया जायेगा।
- (6) सभी निविदाएँ कम्प्यूटराईज/टंकित होना अनिवार्य है, अन्यथा स्वीकार योग्य नहीं होगा।
- (7) यह जानकारी सीतामढ़ी जिले के वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।
- (8) विशेष जानकारी एवं निविदा सूचना की प्रति किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- (9) क्रय समिति यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकती है।
- (10) सभी सामग्री वनावन् रहित एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त आपूर्ति करना होगा। साथ ही वस्तुओं की दरें सभी आकस्मिक खर्च एवं कारा गोदाम तक पहुँचाने के साथ-साथ प्रभर सहित होगा।
- (11) सभी संवेदकों के निविदा में प्रयुक्त कागजातों/ बैंक गारंटी का आवश्यकता जाँच करायी जायेगी। यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो उनके विरुद्ध विधी सममत कार्रवाई की जायेगी।

खण्ड "क"

वित्तीय वर्ष 2017-18

1. माध्यम उसना चावल (प्रति किलो)
2. अरवा चावल (खीर के लिए)
3. गेहूँ सफेद (बनावन रहित)(प्रति किलो)
4. चाना (प्रति किलो)
5. चाना का सतु (प्रति किला, निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)
6. अरहर दाल (प्रति किलो)
7. मसूर दाल (प्रति किलो)
8. चाना दाल (प्रति किलो)
9. पीली चक्की गुड़ (प्रति किलो आवश्यकतानुसार)
10. वाय पत्ती (गोल दाना, प्रति किलो)
11. चीनी (प्रति किलो)
12. दुग्धचूर्ण (प्रति किलो) तरल दुग्ध सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर
13. पनीर (प्रति किलो) सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर
14. दही (प्रति किलो) सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर
15. काबुली चाना (प्रति किलो)
16. मुर्गा का मांस (प्रति किलो)
17. मछली (रेहू काटकर बनावन)(प्रति किलो)
18. ब्रेड (प्रति किलो ग्राम, निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)
19. सरसो तेल (धरा ब्राण्ड, प्रति लीटर निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)
20. रिफाईन (फरचून/नेचर क्रश प्रति लीटर)
21. कोयला स्टीम ब्रेड-II (प्रति किला) (कोल डस्ट वनज से 3% कटौती कर)
22. जलावन लकड़ी (प्रति किलो)
23. चाना का भुजा (निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)
24. अकुरित आनाज (चाना/मूंग अलग-अलग) प्रति किलो ग्राम

खण्ड "ख"

दिनांक-01.04.2017 से 30.06.2017 (प्रथम त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (दर प्रति किलो में देना होगा)

1. मिण्डी, 2. कटहल (छिलका 5% बाद), 3. बैंगन, 4. कटु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. सेम, 8. कदीमा, 9. नेनुआ, 10. पालक साग, 11. झिगुनी, 12. टमाटर, 13. बोड़ा, 14. कच्चा, 15. परवल, 16. पक्का केला(प्रति दर्जन), 17. कागजी नींबू (मध्यम अकार का), 18. सेब, 19. संतरा, 20. मुर्गा का अंडा (प्रति नग), 21. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 22. सूखा प्याज, 23. खीरा,

दिनांक-01.07.2017 से 30.09.2017 (द्वितीय त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (दर प्रति किलो में देना होगा)

1. मिण्डी, 2. कटहल (छिलका 5% बाद), 3. बैंगन, 4. कटु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कन्दा, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. झिगुनी, 12. कुन्दरी, 13. कच्चा, 14. परवल, 15. पक्का केला(प्रति दर्जन), 16. कागजी नींबू (मध्यम अकार का), 17. सेब, 18. संतरा, 19. मुर्गा का अंडा (प्रति नग), 20. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 21. सूखा प्याज, 22. खीरा,

दिनांक-01.10.2017 से 31.12.2017 (तृतीय त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (दर प्रति किलो में देना होगा)

1. फुल गोभी (डन्टल रहित), 2. बंदा गोभी (डन्टल रहित), 3. बैंगन, 4. कटु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कच्चा, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. सेम, 12. टमाटर, 13. मिण्डी, 14. बोड़ा, 15. मूली (पत्ता रहित), 16. पक्का केला(प्रति दर्जन), 17. कागजी नींबू (मध्यम अकार का), 18. सेब, 19. संतरा, 20. मुर्गा का अंडा (प्रति नग), 21. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 22. सूखा प्याज, 23. खीरा,

दिनांक-01.01.2018 से 31.03.2018 (चतुर्थ त्रैमासिक) तक के लिए हरी सब्जी एवं फल (वर प्रति किलो में देना होगा)

1. फूल गोभी (डन्टल रहित), 2. बंदा गोभी (डन्टल रहित), 3. बैंगन, 4. कदु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कच्चू, 9. कदीमा, 10. टमाटर, 11. बोड़ा, 12. मूली (पत्ता रहित), 13. पक्का केला (प्रति दर्जन), 14. कागजी नींबू (मध्यम अकार का), 15. सेब, 16. संतरा, 17. मुर्गी का अंडा (प्रति नग), 18. आलू (आठ सूत से कम नहीं), 19. सूखा प्याज, 20. खीरा, खण्ड "ग"

दिनांक- 01.04.2017 से 31.03.2017 तक-

1. इल्डी (हिरोट) (प्रति किलो), 2. नमक (आयोडिन युक्त टाटा/अनपूर्णा) (प्रति किलो), 3. लाईफबॉय साबुन (100 ग्राम, प्रति नग), 4. नारियल तेल (पैरासूट 100 एम0 एल0 पैकेट), 5. दतवन (नीम या बबूल का प्रति सैकड़ा), 6. मिर्चा (सूखा लाल, प्रति किलो), 7. धनिया (सूखा, प्रति किलो), 8. जीरा (प्रति किलो), 9. गोलकी (प्रति किलो), 10. अदरक (प्रति किलो), 11. लहसून (प्रति किलो), 12. आमचूर (प्रति किलो), 13. ईमली (प्रति किलो), 14. चूड़ा (प्रति किलो), 15. तिलकूट (प्रति किलो), 16. गूहूँ पिसाई (जलती रहित कारा गोदाम से ले जाने तथा पिसा कर वापस लाने का खर्च सहित प्रति किलो), 17. गरम मशाला, 18. हरा मटर, 19. सरसो, 20. गूहूँ का आँटा, 21. सेबई, 22. मैदा, 23. सूजी, 24. मिर्चा पाउडर, 25. सोयाबीन बड़ी, 26. तीसी का तेल, 27. मोमबत्ती, 28. नारियल रस्सी (प्रति किलो), 29. सूतली (प्रति किलो), 30. पटुआ (प्रति किलो), 31. नारियल झाड़ू (प्रति किलो), 32. बॉस की टोकरी प्रति नग, 33. ड्रप ब्रश (प्रति नग), 34. ताड़ का पंखा (प्रति नग), 35. ताड़े का पतला तार (प्रति किलो), 36. बॉस का सूप (प्रति नग), 37. बॉस का डगरा (प्रति नग), 38. ताड़ का चटाई (प्रति नग), 39. लालटेन शीशा (प्रति नग), 40. लालटेन फीता (प्रति मीटर), 41. काली चूना (प्रति किलो), 42. गेरू मिट्टी (प्रति किलो), 43. रामरस मिट्टी (प्रति किलो), 44. ब्लिचिंग पाउडर (प्रति किलो), 45. मिट्टी का घड़ा (प्रति नग 10 लिटर का), 46. घड़ा का ढक्कन (प्रति नग), 47. खाली टीन (बड़ा प्रति नग), 48. खाली खम्बा (दो किलो का प्रति नग), 49. बॉस बड़ा (प्रति नग), 50. भीम पाउडर (प्रति किलो), 51. वॉसिंग ऐसिड (प्लास्टिक के बोतल में प्रति लिटर), 52. फिनाईल गोली (प्रति किलो), 53. बैट्री (एवेरेडी 1050 हेवी ड्यूटी) प्रति नग, 54. बिजली का बल्ब 100 वॉट (फिलिप्स का प्रति नग), 55. बिजली का बल्ब 200 वॉट (फिलिप्स का प्रति नग), 56. बिजली का तार (3/20 प्रति मीटर), 57. बिजली का तार (40/76 प्रति मीटर), 58. बिजली का तार 4 एम0 एम0 (प्रति मीटर), 59. बिजली का तार 6 एम0 एम0 (प्रति मीटर), 60. बिजली का तार 8 एम0 एम0 (प्रति मीटर), 61. बिजली का तार 1 एम0 एम0 (सभी तार एंकर का प्रति मीटर), 62. बल्ब होल्डर (प्रति नग), 63. फिनीट तेल/वेर्गोन तेल (प्रति लिटर), 64. स्प्रे पम्प (प्रति नग), 65. सी0 एफ0 एल018 एवं 45 वॉट (फिलिप्स प्रति नग), 66. थोन पेपर (प्रति पैकेट), 67. सादा कागज (प्रति जिस्ता), 68. कार्बन (कोरस प्रति 100 नग का पैकेट), 69. रजिस्टर एक जिस्ता, रजिस्टर दो जिस्ता, रजिस्टर तीन जिस्ता, एवं रजिस्टर चार जिस्ता (प्रति नग), 70. टैग (50 नग का प्रति गुच्छा), 71. गोंद 750 एम0 एल0 कैमल का, 72. फ्लेट फाईल (प्रति नग), 73. लिफाफा 4 X 8 एवं 4 X 5 (प्रति सैकड़ा), 74. स्टाम्प पैड (प्रति नग), 75. पैड इंक (प्रति नग), 76. पेपर पीन (प्रति पैकेट), 77. छोटी कोंपी (प्रति नग), 78. छाता (के0 सी0 पाल का प्रति नग), 79. लालटेन (प्रति नग), 80. लालटेन बर्नर (प्रति नग), 81. दिया सलाई (प्रति पैकेट), 82. कम्प्यूटर पेपर A4 Century (प्रति 500 नग का पैकेट), 83. कम्प्यूटर पेपर Legal Century (प्रति 500 नग का पैकेट), 84. कम्प्यूटर का HP Laser Jet Printer Cartridge 12A (प्रति नग), 85. कम्प्यूटर का HP Laser Jet Printer Cartridge 88 (प्रति नग), 86. Colour ink Jet Printer Cartridge No-21 (प्रति नग), 87. Colour ink Jet Printer Cartridge No-22 (प्रति नग), 88. एल0ई0डी0 बल्ब 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 90. एल0 ई0 डी0 स्ट्रीट लाईट (ब्रिकेट सहित), 89. सर्फ (डिटरजेन्ट पाउडर 50 ग्राम पैकेट), 90. शैम्पू (20 एम0 एल0 पैकेट, सिर्फ महिला बंदी के लिए), 91. चापाकल का जलेबी (प्रति नग), 92. चापाकल का हेड (प्रति नग), 93. चापाकल का प्लान्जर एवं बेस प्लेट (प्रति नग), 94. चापाकल का नटबोल्ट (प्रति नग),

अधीक्षक 25-1-17

मंडल कारा, सीतामढ़ी

25/1/17

25/1/17